अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

कैम्प कोर्ट भागीरथ राम आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1.मूलाराम पुत्र वनाजी वगेरा जातियान		पकीया वगैरा पुत्र ओटा व अन्य जतियान कुम्हार निवासीगण पोसालिया तहसील शिवगंज

वाद संख्या 79/2019

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनाक 14 .10.2021

निर्णयः–

प्रशासन गॉवो के संग अभियान–2021 केम्प कोर्ट पोसालिया मे पत्रावली पेश हुई वाद पक्षकारान उपस्थित। वाद के उपस्थित पक्षकारो द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा किया जाना जाहिर किया गया तथा अन्य पक्षकारो की और से कोई आपत्ति/ऐंतराज पेश नही किया गया तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना पक्षकारो की उपस्थिति व सहमति के अनुसार भूमि मौजा पोसालिया पटवार हल्का पोसालिया तहसील शिवगंज जमाबन्दी सवत् 2075–78 के खाता संख्या 602 खसरा नम्बर खसरा नम्बर 655, 657, 658, 659 किता चार कुल रकबा 40–18 भूमि का विभाजन कर बंटवाड प्रस्ताव मय मौका नजरी नक्शा तैयार पेश किया गया।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यो के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानो तथा उपस्थित वाद पक्षकारो की सहमति के आधार पर भूमि का बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा मे प्रदर्शित हिस्सा अनुसार बराबर होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा को इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

आज दिनाक 14.10.2021 को निर्णय खुले न्यायालय कोर्ट केम्प मे सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज कोर्ट केम्प ओडा

07
14.10.2021

प्रतिलिपि पालनार्थः– तहसीलदार शिवगंज।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.03 11:02:35 IST
Reason: SelfAttested

Lok adalat